

HARYANA GOVERNMENT**TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 23rd April, 2014

No. 24/17/81-3T(II).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of proviso to sub-rule (1) read with sub-rule (2), (3) and (4) of the rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 24/17/81-3T(II)-(Red), dated 3rd March, 2014 and all other notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby specifies the official vehicles carrying following dignitaries/senior officers of the Haryana State authorized to use beacon as listed below on the top front, while on duty :—

(A) Red Light with Flasher

1. Governor
2. Chief Minister
3. Former Governors
4. Deputy Chief Minister
5. Chief Justice, Punjab and Haryana High Court
6. Speaker, Vidhan Sabha
7. Cabinet Ministers
8. Deputy Chairman, State Planning Board
9. Former Chief Ministers
10. Leader of Opposition in Vidhan Sabha
11. Judges of Punjab and Haryana High Court

(B) Red Light without Flasher

1. State Election Commissioner
2. Deputy Speaker, Vidhan Sabha
3. Ministers of State
4. Advocate General
5. Chief Secretary
6. Deputy Ministers
7. Chairman, Haryana Public Service Commission

(C) Amber Light with Flasher

1. All MPs/Chief Parliamentary Secretaries and MLAs of Haryana
2. All IAS and IPS officers of Super Time Scale and above of Haryana
3. All District and Session Judges of the State of Haryana
4. All Deputy Commissioners and Superintendents of Police in the districts of Haryana

(D) Blue Light with Flasher

1. All Additional Deputy Commissioners
2. All Additional Chief Judicial Magistrates and Chief Judicial Magistrates of Haryana
3. All officers of Transport Department having challaning powers
4. All Executive Magistrates
5. All Police officers in the field not below the rank of Station House Officer
6. All Excise and Taxation Officers in the districts
7. All District Town and Country Planner in the districts
8. All Mining Officers of Mines and Geology Department in the districts
9. Class-I and II officers while on election duty
10. Vehicles escorting high dignitaries who are entitled to use red light

(E) Blinker type red light with purple glass shall be used on an ambulance van used for carrying patients and multi coloured red, blue and white light shall be used on vehicle specially designated for emergency duties *i.e.* fire fighting vehicles, rescue vehicles and emergency maintenance.

- Note :**
1. In case the vehicle fitted with beacon on top front is not carrying dignitaries/officers, then such beacon shall not be used and be covered by a black cover.
 2. Only one vehicle shall be authorized to use the beacon in respect of a dignitary/senior officer except Sr.No. 1 and 2 of (A) above.
 3. The Members of Parliament and Members of the Haryana Legislative Assembly shall be authorized to use the beacon on his/her personal vehicle in case he/she has not been provided a Government vehicle.

R. R. JOWEL,

Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 23, 2014 (VAISAKHA 3, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

संख्या 24/17/81-3टी(II).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 108 के उप-नियम (2), (3) तथा (4) के साथ पठित उप-नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 24/17/81-3टी(II) (लाल), दिनांक 3 मार्च, 2014 तथा इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ड्यूटी के समय वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर नीचे सूचीबद्ध के अनुसार बीकन प्रयोग करने लिए प्राधिकृत हरियाणा राज्य के निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों/वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर जाने वाले सरकारी वाहनों को विनिर्दिष्ट करते हैं :—

(क) फ्लैसर सहित लाल बत्ती

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. भूतपूर्व राज्यपाल
4. उप मुख्यमंत्री
5. मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय
6. स्पीकर, विधान सभा
7. केबिनेट मंत्री
8. उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
9. भूतपूर्व मुख्य मंत्री
10. विधान सभा में विपक्ष का नेता
11. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

(ख) फ्लैसर के बिना लाल बत्ती

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त
2. उप स्पीकर, विधान सभा
3. राज्य मंत्री
4. महाधिवक्ता
5. मुख्य सचिव
6. उप मंत्री
7. अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग



(ग) फ्लैसर सहित अम्बर बत्ती

1. हरियाणा के सभी संसद के सदस्य/मुख्य संसदीय सचिव तथा विधान सभा के सदस्य
2. अतिकाल वेतनमान तथा उससे ऊपर के हरियाणा के सभी आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारी
3. हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र-न्यायाधीश
4. हरियाणा के जिले में सभी उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक

(घ) फ्लैसर सहित नीली बत्ती

1. सभी अपर उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
3. चालान करने की शक्तियां रखने वाले परिवहन विभाग के सभी अधिकारी
4. सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट
5. क्षेत्र में सभी पुलिस अधिकारी जो स्टेशन हाउस अधिकारी की पदवी से नीचे के न हों
6. जिले में सभी आबकारी तथा कराधान अधिकारी
7. जिले में सभी जिला नगर तथा ग्राम योजनाकार
8. जिले में खान तथा भू-विज्ञान विभाग के सभी खनन अधिकारी
9. श्रेणी I तथा II अधिकारी जब वे निर्वाचन ड्यूटी पर हों
10. उच्च गणमान्य व्यक्ति जो लाल बत्ती प्रयोग करने के हकदार हैं, के मार्गरक्षी वाले वाहन

(ङ) मरीजों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एम्बुलेंस वैन पर परपल ग्लास के साथ बलीन्कर टाइप लाल बत्ती प्रयुक्त की जाएगी तथा आपात-कालीन ड्यूटियों अर्थात् अग्निशमन वाहनों, बचाव वाहनों तथा आपात-कालीन रख-रखाव के लिए विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट वाहनों पर बहुरंग लाल, नीली तथा सफेद बत्ती प्रयुक्त की जाएगी।

टिप्पण : 1. यदि वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बीकन फिट है जो गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों को नहीं ले जा रहा है तब ऐसा बीकन प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तथा काले कवर से ढक दिया जाएगा।

2. उपरोक्त (क) के क्रम संख्या 1 और 2 को छोड़कर गणमान्य व्यक्ति/वरिष्ठ अधिकारी के सम्बन्ध में बीकन प्रयोग करने के लिए केवल एक वाहन प्राधिकृत किया जाएगा।

3. संसद सदस्य तथा हरियाणा विधानसभा के सदस्य को अपने निजी वाहन पर बीकन का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा यदि उसे सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

आर० आर० जोवल,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।